कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उत्तर प्रदेश

पत्रांक 91-95 /कम्प्यू0सेल लखनऊ दिनांक सितम्बर 1, 2017

1. प्रबन्ध निदेशक,
   समस्त शीर्ष सहकारी संस्थाये।
   उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक,
   उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम,
   लखनऊ।
3. निदेशक,
   आईसीसीएमआरटी,
   लखनऊ।
4. चेयरमैन,
   संस्थागत सेवा मण्डल, उ0प्र0,
   लखनऊ।
5. अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक(प्रशा0)
   सहकारिता, उत्तर प्रदेश,
   लखनऊ।

विषय :– ई–टेण्डरिंग प्रणाली हेतु प्रशिक्षण के संबंध मे।

उपर्युक्त विषयक सहकारिता अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 1468/49–3–2017–103/20017 टीसी दिनांक 30 अगस्त 2017 का अवलोकन करने का कष्ट करे, जिसके साथ आई0टी.0 इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 1895/78–2–2017 आईटी/2017 दिनांक 04.08.2017, पत्र संख्या 1982/78–2–2017–42 आई0टी0/2017 दिनांक 17.08. 2017 एवं अर्द्ध शा0प0स0 संख्या–2050(1)/78–2–2017–42 आई0टी02/2017 टीसी–49 दिनांक 24.08.17 की छाया प्रतियॉ संलग्न करते हुए निर्देश प्राप्त हुए है कि सभी शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपकमों/विकास प्राधिकरणों/नगर निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निकायों इत्यादि में सभी निमार्ण कार्यो, सेवाओं/जाब वर्क एवं सामग्री के कय में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित कराये जाने के लिए ई–टेन्डरिंग प्रकिया लागू किये जाने के कम में ई–टेण्डरिंग प्रणाली हेतु प्रशिक्षण के संबंध में संलग्न पत्रों में अपेक्षित कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित कराने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने के निर्देश प्राप्त हुए है।

अतः उपरोक्त शासनादेशो को संलग्न करते हुए आपको इस आशय के साथ प्रेषित कि शासनादेशों मे उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

संलग्नक :– यथोक्त

31.8.17

(श्रीकान्त गोस्वामी)
अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक,(कम्प्यू0)
सहकारिता, उत्तर प्रदेश
लखनऊ।

महत्वपूर्ण / प्राथमिकता

संख्या:1468/49–3–2017–103 / 2017 टी0सी0

प्रेषक:

राजेश बहादुर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।

RCS Comp.
No.88/31.8.17.Date

सहकारिता अनुभाग–3

लखनऊ : दिनांक 30 अगस्त, 2017

विषय: **ई–टेण्डरिंग प्रणाली हेतु प्रशिक्षण के सम्बन्ध में।**

अ0नि0 (कम्प्यू0/जे0आ0 ई-टेण्डर)

कृपया अवगत करायें जनपद स्तर के सभी कार्यालयों को क्र0–2 का0 पूर्ण हो चुकी है

(अजय चौहान)
आयुक्त एवं निबन्धक
सहकारिता, उ0प्र0
लखनऊ

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आई.टी. इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–1895 / 78–2–2017–42आई0टी0 / 2017, दिनांक 04.08.2017, पत्र संख्या–1982 / 78–2–2017–42आई0टी0 / 2017, दिनांक 17.08.2017 एवं अर्द्ध शा0प0सं0 संख्या–2050(1) / 78–2–2017–42आई0टी02 / 2017 टीसी–49, दिनांक 24.08.2017 (छायाप्रतियॉ संलग्न) कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सभी शासकीय विभागों / सार्वजनिक उपकमों / विकास प्राधिकरणों / नगर निगमों / स्वायत्तशासी संस्थाओं / निकायों इत्यादि में सभी निर्माण कार्यों, सेवाओं / जॉब–वर्क एवं सामग्री के कय में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित कराये जाने के लिए ई–टेण्डरिंग प्रकिया लागू किये जाने के कम में ई–टेण्डरिंग प्रणाली हेतु प्रशिक्षण के सम्बंध में संलग्न पत्रों में अपेक्षित कार्यवाही कृपया तत्काल सुनिश्चित कराने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

उक्त के सन्दर्भ में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 21.07.2017 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त भी संलग्न कर प्रेषित् है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(राजेश बहादुर)
संयुक्त सचिव।

31.8.17

1371/49-3-17

संख्या-1895/78-2-2017-42आई0टी0/2017

103/2017

प्रेषक,

संजीव सरन,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन,

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0 प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, निकायों, परिषदों एवं स्वायत्तशासी निकायो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊ: दिनाकः 04 अगस्त 2017

विषय- ई-टेण्डरिंग प्रणाली हेतु ऑनलाइन प्रशिक्षण सुविधा के विषय में।

महोदय,

सभी शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगर निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निकायों इत्यादि में सभी निर्माण कार्यों, सेवाओं/जॉब-वर्क एवं सामग्री के क्रय में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित कराये जाने के लिए ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया लागू किये जाने के क्रम में कृपया अवगत कराना है, कि उ0प्र0 शासन के ई-टेण्डर पोर्टल http://entender.up.nic.in जो NIC द्वारा विकसित तथा संचालित है, की कार्यप्रणाली हेतु NIC द्वारा Online Web-training की व्यवस्था की गयी है, जो निम्नवत् है:-

1. उ0प्र0 शासन के पोर्टल http://entender.up.nic.in के **Homepage** पर **Announcement** पर **Click** करने के उपरान्त निम्नवत संदेश प्रदर्शित होता है।

Announcement-1

(A) Web based training on Government e-Procurement System is being conducted on various topics on a regular basis. The Web based training will be conducted on all Central Government working days from 02:30 pm to 04:30 pm in English only.

(B) Users from all State Government Department, Bidders can join any of these training sessions as required. Details of local system requirements for connection to the Webcon training and the details of various sessions can be seen in the follow URL eprocure.gov.in/cppp/trainingdisp. All are required to make use of this facility.

इस URL (eprocure.gov.in/cppp/trainingdisp) को **Google** में खोलने पर Government of India का Central Public Procurement Portal खुल जायेगा, इसमे Training Schedule (Monday - Friday), प्रतिदिन 02:30 pm से 04:30 pm का Schedule दिया जाता है।

(हरिनन्द किशोर)
उप सचिव
सहकारिता विभाग
उ0 प्र0 शासन।

(पी0 के0 सुनील)
विशेष सचिव, सहकारिता विभाग
उ0 प्र0 शासन।

(राजेश बहादुर)
संयुक्त सचिव
सहकारिता विभाग

(राकेश प्रताप सिंह)
उप सचिव
सहकारिता विभाग

1430/49-3-17

संख्या 1982/78-2-2017-42आई0टी0/2017

प्रेषक,

संजीव सरन
अपर मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0 प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, निकायों, परिषदों एवं स्वायत्तशासी निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊ दिनाँक 17 अगस्त 2017

विषय: ई-टेण्डरिंग प्रणाली पर प्रशिक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या 1107/78-2-2017-42आई0टी0/2017 दिनाँक 12 मई 2017 द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय विभागों/ सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगर निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निकायों इत्यादि में एन.आई.सी. के ई-प्रोक्योरमेण्ट प्लेटफार्म https://etender.up.nic.in का प्रयोग करते हुए सभी निर्माण कार्यों, सेवाओं/जॉब-वर्क एवं सामग्री के क्रय तथा चालू दर एवं दर-अनुबन्ध (रेट कॉन्ट्रेक्ट) हेतु ई-प्रोक्योरमेण्ट/ ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू कर दी गई है।

2- जैसाकि आप अवगत है कि दिनांक 01 सितम्बर 2017 के उपरान्त समस्त सभी विभागो द्वारा सभी शासकीय निविदायें ई-टेण्डरिंग प्रणाली से ही आमन्त्रित किया जाना बाध्यकारी है, जिसमें अब मात्र 15 दिवस शेष है।

3- इस सन्दर्भ मे यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के 10-अशोक मार्ग, लखनऊ स्थित कार्यालय पर नियमित रूप से ई-टेण्डरिंग प्रशिक्षण संचालित किए जाने के अतिरिक्त अनेक विभागों के कार्यालय तथा प्रदेश मुख्यालय/मण्डल/जनपद स्तर पर विभागीय अधिकारियों, टेण्डर समिति के सदस्यों को डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने, ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया हेतु तत्सम्बन्धित सॉफ्टवेयर, ई-टेण्डर का विकास, BOQ preparation टेण्डर अपलोडिंग, टेण्डर ओपनिंग, Tender Evaluation इत्यादि के प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। विगत तीन माह में लगभग 10,000 व्यक्तियों को ई-टेण्डर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा 60,000 से अधिक निविदायें ई-टेण्डर पोर्टल पर प्रकाशित की गई है।

4- इसी क्रम मे दिनाँक 21 अगस्त 2017 के पश्चात योजना भवन, सरोजिनी नायडू मार्ग, लखनऊ के E Floor स्थित सभागार में प्रतिदिन (अवकाश के दिनों को छोड़कर) प्रातः 10:00 बजे से 2:00 बजे मध्याह्न तक नियमित रूप से डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने, ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया हेतु तत्सम्बन्धित सॉफ्टवेयर, ई-टेण्डर का विकास, BOQ preparation टेण्डर अपलोडिंग, टेण्डर ओपनिंग, Tender Evaluation इत्यादि का ऑन-लाईन प्रस्तुतिकरण किया जायेगा तथा जिज्ञासाओं का भी समाधान किया जायेगा।

प्राप्त
21.08.17

(हरिराज किशोर)
अपर मुख्य सचिव
सहकारिता विभाग
उ0प्र0 शासन

विशेष सचिव, सहकारिता विभाग
उ0प्र0 शासन

1468/49-3-17

संजीव सरन,
अपर मुख्य सचिव

अर्द्ध शा.प.सं.- 2050 (1)/78-2- 2017-42आई0टी022017टीसी-49
उत्तर प्रदेश शासन
आई.टी. एवं इले0 अनुभाग-2
लखनऊः दिनाँक 25 अगस्त, 2017

प्रिय महोदय,

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या 1107/78-2-2017-42आई0टी0/2017 दिनॉक 12 मई 2017 द्वारा सभी निर्माण कार्यों, सेवाओं/ जॉब-वर्क एवं सामग्री के कय तथा चालू दर एवं दर-अनुबन्ध (रेट कॉन्ट्रैक्ट) हेतु ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू कर दी गई है तथा दिनॉक 01 सितम्बर 2017 के उपरान्त समस्त सभी विभागों द्वारा सभी शासकीय निविदायें ई-टेण्डरिंग प्रणाली से ही आमंत्रित किया जाना बाध्यकारी होगा।

2 विभाग द्वारा नियमित रूप से आपके अधीनस्थ विभागों, सार्वजनिक उपकमों, निकायों, परिषदों, स्वायत्तशासी निकायों, संस्थाओं, संगठनों, कार्यालयों इत्यादि में नोडल अधिकारियों के नामॉकन, कय-समिति के न्यूनतम तीन तथा अधिकतम चार सदस्यों के डिजिटल सिग्नेचर तथा उनके ई-टेण्डरिंग प्रशिक्षण सुनिश्चित कराये जाने का नियमित रूप से अनुरोध किया जाता रहा है।

3 प्रदेश में पूर्ण रूप से ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने हेतु निर्धारित समय सीमा यथा 01 सितम्बर 2017 में मात्र 10 दिन शेष हैं। अतएव अनुरोध है कि आपके अधीनस्थ विभागों, सार्वजनिक उपकमों, निकायों, परिषदों, स्वायत्तशासी निकायों, संस्थाओं, संगठनों, कार्यालयों इत्यादि में नोडल अधिकारियों के नामॉकन, कय-समिति सदस्यों के डिजिटल सिग्नेचर तथा उनके ई-टेण्डरिंग प्रशिक्षण की कार्यवाही तत्काल पूर्ण करा लें।

सद्भावी,

भवदीय,

(संजीव सरन)

श्री (नाम से)
समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

(सुनील कुमार
निजी सचिव
अपर मुख्य सचिव
सहकारिता विभाग
उ0 प्र0 शासन।)

आयुक्त एवं निबंधक,
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।
कृपया प्रस्तगत प्रकरण में अंकित तथ्यों/बिन्दुओं के सम्बन्ध में अविलम्ब कार्यवाही सुनिश्चित कराने एवं कृत कार्यवाही से शासन को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।
25.08.2017

803